-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 15.09.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना गिरवां पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों से चोरी करने वाले वांछित अभियुक्त को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस व चोरी का माल सहित मोबाइल बरामद।**

विवरण– पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा विभिन्न अभियोगों में वांछित चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना गिरवां पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर चोरी करने वाले वांछित अभियुक्त को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि थाना गिरवां क्षेत्र के ग्राम खुरहंड के रहने वाले जितेन्द्र त्रिपाठी ने थाना गिरवां पर सूचना दी कि दिनांक 28.08.2025 को उनके घर में व गांव में स्थित मंदिर तथा एक अन्य घर में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में सूचना दी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना गिरवां पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास किए जा थे। इसी क्रम में आज दिनांक 15.09.2025 को थाना गिरवां पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर 01 अभियुक्त को ग्राम महुआ हनुमान मंदिर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस व चोरी का सामान बरामद किया गया। अभियुक्त से कड़ाई से पूंछताछ में पता चला कि इसका एक और साथी लवकुश उर्फ भूरी पुत्र रामलाल निवासी ग्राम लिलरी थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर भी चोरी में संलिप्त था। जिसको दिनांक 30.08.2025 को थाना पैलानी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस
- 01 मुकुट सफेद धातु (चोरी का)
- एक मोबाइल फोन (चोरी का)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. राहुल पुत्र सिद्धा खटिक निवासी टेवन बब्बा मराठीपुरी कस्बा मौदहा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 286/25 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गिरवां जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 272/25 धारा 331(4)/305 बीएनएस, बढोतरी धारा 317(2) बीएनएस थाना गिरवां जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री चन्द्र प्रकाश तिवारी थानाध्यक्ष गिरवां
2. चौकी प्रभारी खुरहण्ड यज्ञनारायण भार्गव
3. कां0 महेन्द्र कुमार
4. कां0 कृष्णकांत सिह
5. कां0 संजय कुमार